



डा० ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

मन्त्रालय -ए०के०टी०य०/कुस०का०/संविठ/2020/ 6090-6792

दिनांक २ अगस्त 2020

College Code 004

दोनों में

निदेशक / प्राचार्य

RAJA BALWANT SINGH ENGINEERING TECHNICAL CAMPUS,AGRA

Raja Balwant Singh Engineering Technical Campus, Bichpuri, Agra -283105 , Agra

विषय शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी एवं अन्य आक इंडिया नई दिल्ली एवं काउंसिल आफ आक्टिवर, नई दिल्ली (यथा लागू) के हारा सत्र 2020-21 हेतु आपके संस्थान को संस्थानीयों के क्षम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय हारा अरथाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Pharm	Bachelor of Pharmacy	Shift I	60	60	60	60
Tech	Biotechnology	Shift I	60	60		60
Tech	Chemical Engineering	Shift I	60	60		60
Tech	Civil Engineering	Shift I	60	60		60
Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	90	90		60
Tech	Electrical Engineering	Shift I	60	60		90
Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	90	90		60
Tech	Food Technology	Shift I	60	60		90
Tech	Mechanical Engineering	Shift I	60	60		60
Tech	Biotechnology	Shift I	18	18		60
Tech	Computer Science and Engineering	Shift I	18	18		18
Tech	Electronics and Communication Engineering	Shift I	18	9		18
Tech	Food Technology	Shift I	18	18		9
						18

अन्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है—

संस्थान हारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय हारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित घटन-पाठन/पाठ्यचयन, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, हाया, अन्यथा वीरियति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता वर्ते निरसने समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकालीन को होगा।

निरीक्षण संषडल हारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय हारा किसी भी समय किया जा सकता है।

सरकारी समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रवय संस्थान/प्रबन्धालय का होगा।

संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डॉएपीओ अद्युल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उपरोक्त द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमत्य की ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा यांचित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषधारिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आयोजन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतंत्र निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रवय संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवेशित उपरोक्त प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधिकों का पालन संस्था हारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 10 सितम्बर 2020 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में निर्धारित अहंता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही इन शिक्षकों की सूची उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि नहीं जायेगी।
8. नियमित संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभियूद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्थीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकोंनुसार अवस्थापनों एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउनिसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व अवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2020-21 में प्रवेश की कार्यवाही।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की हिति से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम 6.15)
10. सत्र 2020-21 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सब के दौरान नियन्त्रित किया जायेगा अवश्यकता नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था ने कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15-दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार अवश्य सूचित करें। (विनियम 6.18)
12. शिक्षक एवं शिक्षणों द्वारा रटाफ के बेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम 6.25बी.)
13. लैब एवं उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य वर्णन की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अधिक भारतीय लकड़ी की शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतंत्र हो जायेगा।
17. कार्यसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समर्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित अवश्यक नियामक लैगेटन कार्मिसी कार्डिनल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर कार्डिनल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2020-21 हेतु मान्यता का अनुमति प्रदान की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की कार्डिनलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतंत्र नियस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में कार्मिसी तथा सार्कुलार के समर्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2020-21 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शिक्षक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. यिन संस्थानों की अमातियम एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसन्धान जातियों/अन्य जनजातियों और अन्य प्रिल्ड वर्गों के लिए

अनुपालन संस्थान के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिष्ठृति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों /आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना वाली जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

2. संस्थान द्वारा यह खुलिए इच्छित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन से वही शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।

23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूरिपत्र संख्या उ0ए0प्रा0विभ0/कुस0 का0/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन को अनियायता होगी।

24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी छात्रों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन कुनिश्चित करवाना संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही आवश्यक होगा।

25. निर्गत होकर सब में पाठ्यक्रम में पंजीकृत छात्रों की स्फूट सख्ता, मात्रकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अहं शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कठिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रबंश क्षमता का एक निश्चित पत्रिशत का सम्बद्धन सब विश्वविद्यालय द्वारा रामेश्वर की जायगी।

26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की मात्रा सम्बद्धता विवरण की तात्परि के रूपमें 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

27. शारण/विश्वविद्यालय द्वारा कोष्ठ-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2020 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के अधिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमिया पायी जाने की स्थिति में संस्था की प्रत्याइ तम्बद्धना स्वतं निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतत्र का होगा।


(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रत्यक्ष संस्था के दिनांक: उपरोक्त

निश्चिपि विनालिखित का सूचनात् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुद्रक संचय मा0 कुलाधिकारी / अ) राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ।

2. अपर मुद्रय संचय पायिधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

3. अध्यक्ष अधिकारीय तकालीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।

निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

गाँड़ राइल।